न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सीमा कुमारी (आर.जे.एस)

निर्णय दिनांक – 19 मार्च, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 118/2022

सीआईएस नंबर – 118/2022

सीएनआर नंबर – RJJH070002462022

राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र उर्फ मोनू

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 589/2021, पुलिस थाना खेतडी
अपराध अन्तर्गत धारा– 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	अनिता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राकेश, हाल उम्र 25 वर्ष, निवासी मारोली, पुलिस थाना नांगल चौधरी, हाल निवासी रवां, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	राजेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र महिपाल, हाल उम्र 23 वर्ष, निवासी रवां, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री महिपाल दौराता

B

अपराध की दिनांक	06.08.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.08.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24.02.2022
आरोप विरचित करने की दिनांक	24.02.2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	01.02.2023

निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	19.03.2026
निर्णय दिनांक	19.03.2026

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	राजेन्द्र उर्फ मोनू	01.09.2021	02.09.2021	354(घ) भा0द0सं0	दोषमुक्त	––	––

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	अनिता	परिवादिया व एफआईआरकर्ता
पी0डब्ल्यू 02	सुमित्रा	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 03	ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद	चश्मदीद साक्षी
पी0डब्ल्यू 04	मदनलाल	फर्द साक्षी
पी0डब्ल्यू 05	ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	–निल–	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण–
01	प्रदर्श पी–01	पुलिस बयान अनिता
02	प्रदर्श पी–02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी–03	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी–04	धारा 164 द.प्र.संहिता के बयान अनिता
05	प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान सुमित्रा
06	प्रदर्श पी–06	पुलिस बयान ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद
07	प्रदर्श पी–07	फर्द गिरफ्तारी राजेन्द्र उर्फ मोनू

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	–निल–

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 19 / 03 / 2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया अनिता देवी ने पुलिस थाना, खेतड़ी में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की ''कि दिनांक 06.08.2021 को समय रात्रि 11.30 बजे मेरे मोबाइल नं. XXXXXX पर अज्ञात नंबर 7597607697 एवं 9680233200 से फोन आया और मुझे गाली–गलौच करने लगा व मेरी अश्लील फोटो नेट पर डालने की बात कहकर मुझे धमकी दे रहा है कि आपकी अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा। उक्त फोटो मोनू लादी जो तुम्हारे पास में रहता है, उससे मैंने ली है। तुम्हारी नहाते हुए की फोटोज मेरे पास है। मैंने पुलिस थाना खेतड़ी में रात्रि में ही फोन करके सूचना दी थी। मेरे पास रात को फोन किया तब हमारे मोहल्ले का मोनू लादी उनके साथ था, क्योंकि मेरे बारे में मोनू अपने साथियों को हंस–हंसकर बता रहा था। मोनू लादी मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरी बचपन से ही मोनू लादी से अनबन चल रही है। ये मुझे बचपन से परेशान करता आ रहा है। मेरे मोबाइल नंबर मेरे घर से लेकर अपने दोस्तों को देता है और मैं परेशान होकर दोबारा नई सिम लेती हूं, लेकिन फिर से मेरे नंबर मेरे घर से लेकर अपने दोस्तों को देता है और मैं परेशान होकर दोबारा नई सिम लेती हूं और जहां भी जावो मेरा पीछा करता है व मेरे साथ छेड़छाड़ करता है। आदि–आदि'' जिस पर प्रकरण दर्ज कर, बाद अनुसंधान अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ मोनू के विरूद्ध धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

04. बयान मुलजिम लिए गए। अभियुक्त ने अभियोजन कहानी को गलत बताया। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही। जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गयी।

05. बहस अंतिम उभयपक्षीय सुनी गई। अभियोजन अधिकारी ने बहस अंतिम में कथन किया कि परिवादिया ने राजीनामा के कारण अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दी है।

06. अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस अंतिम में कथन किया कि परिवादिया व अन्य स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने न्यायालय में प्र.सू.रिपोर्ट की ताईद नहीं की है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

07. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय बिंदू है कि:–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.08.2021 को समय रात्रि करीब 11.30 बजे मौजा रवां, खेतड़ी में परिवादिया को फोन करके उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर तथा बार–बार परिवादिया का पीछा कर उससे छेड़छाड़ कर धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया ?**

2. **यदि हां तो सजा ?**

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार है:–

हस्तगत प्रकरण में परिवादिया अनिता देवी ने तहरीर रिपोर्ट **प्रदर्श पी–03** संबंधित थाने में इस आशय की प्रस्तुत की ''कि दिनांक 06.08.2021 को समय रात्रि 11.30 बजे मेरे मोबाइल नं. XXXXXX पर अज्ञात नंबर 7597607697 एवं 9680233200 से फोन आया और मुझे गाली–गलौच करने लगा व मेरी अश्लील फोटो नेट पर डालने की बात कहकर मुझे धमकी दे रहा है कि आपकी अश्लील फोटो वायरल कर दूंगा। उक्त फोटो मोनू लादी जो तुम्हारे पास में रहता है, उससे मैंने ली है। तुम्हारी नहाते हुए की फोटोज मेरे पास है। मैंने पुलिस थाना खेतड़ी में रात्रि में ही फोन करके सूचना दी थी। मेरे पास रात को फोन किया तब हमारे मोहल्ले का मोनू लादी उनके साथ था, क्योंकि मोनू मेरे बारे में अपने साथियों को हंस–हंसकर बता रहा था। मोनू लादी मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरी बचपन से ही मोनू लादी से अनबन चल रही है। ये मुझे बचपन से परेशान करता आ रहा है। मेरे मोबाइल नंबर मेरे घर से लेकर अपने दोस्तों को देता है और मैं परेशान होकर दोबारा नई सिम लेती

हूं, लेकिन फिर से मेरे नंबर मेरे घर से लेकर अपने दोस्तों को देता है और मैं परेशान होकर दोबारा नई सिम लेती हूं और जहां भी जावो मेरा पीछा करता है व मेरे साथ छेड़छाड़ करता है।''

09. हस्तगत प्रकरण की परिवादिया **पी0ड0–1 अनिता देवी** पक्षद्रोही घोषित हुई, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''आज से करीब डेढ़ साल पहले राजेन्द्र उर्फ मोनू ने मुझे फोन नहीं किया, ना ही फोन पर गाली–गलौच की, ना ही अश्लील फोटो नेट पर डालने की धमकी दी, ना ही मुझे जाने से मारने की धमकी दी, ना ही मेरे साथ छेड़छाड़ की, ना ही मेरा पीछा किया।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''यह सही है कि मैंने थाने में रिपोर्ट दी, जो प्रदर्श पी–2 है। चाक प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मैंने न्यायालय में 164 सी.आर.पी.सी. के बयान दिए थे जो प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। यह सही है कि मेरा मुलजिम के साथ राजीनामा हो गया है।''

10. हस्तगत प्रकरण में परीक्षित चश्मदीद साक्षी **पी0ड0–2 सुमित्रा** पक्षद्रोही घोषित हुई, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना कब की है, मुझे पता नहीं। आज से करीब दो साल पहले मेरी लड़की अनिता से हमारे पड़ोसी राजेन्द्र उर्फ मोनू ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही परेशान किया, ना ही फोटो वायरल करने की धमकी दी, ना ही मेरी लड़की अनिता का पीछा करता है।''

11. परीक्षित दीगर चश्मदीद साक्षी **पी0ड0–3 ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद** भी पक्षद्रोही घोषित हुआ, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''आज से करीब दो साल पहले मेरी लड़की अनिता को हमारे पड़ोसी राजेन्द्र उर्फ मोनू ने परेशान नहीं किया, ना ही उसके साथ छेड़छाड़ की, ना ही उसका पीछा किया, ना ही उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी।''

12. हस्तगत प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी के गवाह **पीडब्ल्यू 4 मदनलाल** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 01.09.2021 को मुलजिम राजेन्द्र उर्फ मोनू को जरिये फर्द प्रदर्श पी–7 गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।''

13. हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी0ड0–5 ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार** ने सशपथ कथन किया कि ''दिनांक 10.08.2021 को परिवादी अनिता ने मय अपने पिता ओमप्रकाश के साथ खेतड़ी थाना में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 मदनलाल एस.आई. के समक्ष पेश की थी, जिसकी पुश्त पर सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित की गई, जिस पर ई से एफ मदनलाल एस.आई. के हस्ताक्षर है। तहरीरी के आधार पर चाक प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 चाक की गई, जिस पर सी से डी मदनलाल के हस्ताक्षर है। मदनलाल ने उक्त पत्रावली अनुसंधान हेतु मेरे को सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान मैंने गवाह अनिता देवी, ओमप्रकाश, सुमित्रा देवी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए थे। मैंने अनिता के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान प्रदर्श पी–4 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए। मैंने मुलजिम राजेन्द्र उर्फ मोनू को जरिये फर्द प्रदर्श पी–7 गिरफ्तार किया था, जिस पर सी से डी मेरे व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम राजेन्द्र उर्फ मोनू के विरुद्ध जुर्म धारा 354डी भां.दं.संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश न्यायालय किया।''

गवाह ने **जिरह** में कथन किया कि ''यह सही है कि मैंने परिवादिया व मुलजिम के मोबाइल की कॉल डिटेल नहीं निकलवाई थी, ना ही इनके कोई वायरल फोटो जप्त किए थे।''

14. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर पेश समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर तथा परिवादिया अनिता द्वारा प्र.सू.रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में अंकित घटनाक्रम की कोई ताईद नहीं करने, चश्मदीद गवाहों के पक्षद्रोही होने के मद्देनजर यह न्यायालय **अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ मोनू** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354(घ) भा.दं.सं. में साक्ष्य अभाव में **दोषमुक्त** किया जाना न्यायोचित पाता है।

// आदेश //

15. अतः अभियुक्त **राजेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र महिपाल,** उम्र 23 वर्ष, निवासी रवां, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0) को आरोपित अपराध **धारा 354(घ) भा.दं.सं.** में साक्ष्य अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व पेश जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

(**सीमा कुमारी**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

16. निर्णय आज दिनांक **19/03/2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**सीमा कुमारी**)
अतरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं